UPMO010002012021

न्यायालय खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/जिला न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी– सै0 माऊज़ बिन आसिम, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code No. UP-1895

नियमित सिविल अपील संख्या–09/2021

वसीम अहमद पुत्र रईस अहमद, निवासी मौहल्ला हिन्दू कटेरा नगीना, थाना नगीना, जिला बिजनौर।

................अपीलार्थी।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा डी0जी0सी0, सिविल, मुरादाबाद।
2. अभिहित अधिकारी, बिजनौर।
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बिजनौर।

............प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

1. अपीलार्थी/खाद्य कारोबारकर्ता ने प्रश्नगत नियमित सिविल अपील खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (जिसे आगे की धाराओं में अधिनियम के नाम से सम्बोधित किया गया है) की धारा–70 के अन्तर्गत न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बिजनौर द्वारा वाद संख्या–00171/2019, सरकार बनाम वसीम अहमद में पारित प्रश्नगत निर्णय और आदेश दिनांकित 14.08.2019 के विरूद्ध योजित की है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि– खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जनपद बिजनौर ने अभिहित अधिकारी, जनपद बिजनौर से नियमानुसार अधिनियम की धारा–36(ई) में अनुमति प्राप्त कर न्याय निर्णायक अधिकारी, जनपद बिजनौर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि, उसने दिनांक 11.12.2017 समय 03:00 पी0एम0 पर स्थान कोतवाली रोड, नजीबाबाद निकट लक्ष्मी गत्ता

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.07.21 17:45:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

फैक्टरी में उपरोक्त खाद्य कारोबारकर्ता के पीठ में छोटे हाथी में बिक्री वास्ते संग्रहित लगभग 25 किलो पिसी मिर्ची का निरीक्षण अपने पद का परिचय देकर किया। मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता के पास खाद्य पंजीकरण नहीं था। मिलावट का संदेह होने पर पिसी मिर्ची की जाँच खाद्य विश्लेषक से कराने के वास्ते खाद्य कारोबारकर्ता से खाद्य पदार्थ पिसी मिर्ची वजनी 01 किलो मूल्य रूपये 160/–नकद देकर खरीदी और कीमत रसीद प्राप्त की और मौके पर इसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म–5क पर देकर हस्ताक्षर कराये। मौक पर खरीदे गये नमूने को चार साफ, सूखे और खाली प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर लेबल चिपकाकर बांसी कागज और कोड स्लिप बी0जे0–378/2017/एम0के0 से नियमानुसार सील्ड पैक किया और चारों नमूनों पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर कराये। मौके पर उपस्थित जनता के लोगों से गवाही हेतु कहा, तो उन्होंने मना कर दिया और अपना नाम व पता नही बताया। मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता को नमूने का एक सील्ड भाग एन0ए0बी0एल0 से जॉच कुराने को कहा, तो उसने मना कर दिया। नमूने का एक सील्ड पैक भाग, फार्म–6 और अलग से एक फार्म–6 नमूना सील मोहर छाप लगाकर खाद्य विश्लेषक, गोरखपुर को जॉच रिपोर्ट भेजने के लिए प्रेषित किया और नमूने के शेष तीन भाग फार्म–6 के साथ अभिहित अधिकारी, बिजनौर के कार्यालय में दिनांक 11.012.2017, को जमा किया। खाद्य विश्लेषक, गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट संख्या–1981, दिनांकित 28.12.2017 के अनुसार उपरोक्त नमूने के संबंध में इस आशय की राय दी गयी है कि, "No person shall sell powdered spices & condiments except under packed condition while the sample is in ordinary plastic container. Which is violation of regulation no.2.3.14 (15) of P & R on sales regulation 2011.'' इस प्रकार खाद्य कारोबारकर्ता ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा–3(1)(zf) व 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो इसी अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत दण्डनीय है। उक्त आधारों पर खाद्य कारोबारकर्ता को दण्डित करने की याचना की गयी।

3. न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बिजनौरं द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए खाद्य कारोबारकर्ता को इस आशय का कारण बताओ नोटिस दिनांकित 30.01.2019, जारी किया गया था कि, खाद्य सुरक्ष अधिकारी, बिजनौर ने दिनांक 11.12.2017 समय 03:00 पी0एम0 पर स्थान कोतवाली रोड, नजीबाबाद निकट लक्ष्मी गत्ता फैक्टरी आपके छोटा हाथी में बिक्री वास्ते संग्रहित लगभग 25 किलो पिसी मिर्ची का निरीक्षण किया, जिसमें मिलावट का संदेह होने पर पिसी मिर्ची की जाँच खाद्य विश्लेषक से कराने के लिए पिसी मिर्ची का नमूना लेकर नियमानुसार खाद्य विश्लेषक, गोरखपुर को जॉच हेतु प्रेषित किया था। खाद्य विश्लेषक, गोरखपुर द्वारा उपरोक्त नमूने के संबंध में इस आशय की राय दी गयी है कि, "No person shall sell powdered spices & condiments except under packed condition while the sample is in ordinary plastic container. Which is violation of regulation no.2.3.14 (15) of P & R on sales regulation 2011.'' इस प्रकार आपने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा–3(1)(zf) व 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो इसी अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत दण्डनीय है। आप दिनांक 21.02.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

4. प्रश्नगत निर्णय के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि, न्याय निर्णायक अधिकारी ने अभियोजन पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने के उपरान्त प्रश्नगत आदेश दिनांकित 14.08.2019 के माध्यम से अपीलार्थी वसीम अहमद पर उक्त अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत अंकन 1,00,000/–रूपये की शास्ति अधिरोपित की गयी और शास्ति अदा न करने पर, शास्ति की धनराशि की वसूलयाबी की कार्यवाही भू–राजस्व की भांति अमल में लाये जाने हेतु निर्देशित किया है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की है।

5. <u>संक्षेप में अपील के आधार इस प्रकार हैं कि</u>– विचारण न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत है, विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय मनमाना आदेश पारित किया है, जो प्रत्येक दशा में खण्डित होने योग्य है,

अपीलाण्ट कोई कारोबार नहीं करता है, गरीब है, मजदूरी करता है, अपीलाण्ट के पास कथित रूप से मिर्ची पाउडर बताया गया है, जो जांच के बाद सही पाया गया है, उसमें कोई मिलावट नहीं पायी गयी, जिसमें मानव जीवन को कोई खतरा हो, खाद्य सुरक्ष अधिकारी, बिजनौर द्वारा दिनांक 11.12.2017 को कथित जांच की है और वाद लगभग दो वर्ष बाद योजित किया है, जो कालबाधित है और निरस्त होने योग्य है, कथित निरीक्षण मौके पर कोई नहीं किया गया है, न ही कोई गवाही है, अपीलाण्ट पर धारा–52 खाद्य सुरक्षा का कोई केस नहीं बनता है, स्थल पर किसी की गवाही नहीं ली गयी है, अपीलाण्ट एक गरीब व्यक्ति है, किसी प्रकार का कोई कारोबार नहीं करता है, बल्कि मेहनत, मजदूरी करके जीवन यापन करता है, इतना अधिक जुर्माना नहीं दे सकता। उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांकित 14.08.2019 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

7. दौरान बहस अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि, प्रश्नगत प्रकरण में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–52 के उल्लंघन का कोई मामला नहीं बनता है। न्याय निर्णायक अधिकारी ने उपरोक्त तथ्य को नजरंदाज करते हुए प्रश्नगत निर्णय पारित करने में विधिक भूल की है, इसलिए न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

8. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क– दौरान बहस विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दीवानी) ने अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्कों का खण्डन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि, विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पूर्ण रूप से विधि–सम्मत् है। आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उक्त आधारों पर अपील को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) को विस्तार से सुना तथा पत्रावली व अन्य सुसंगत प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

10. अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के

परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत मामले में विनिश्चायक बिन्दु यह उभरकर आता है कि, क्या विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत अधिरोपित शास्ति विधि–सम्मत है अथवा नहीं?

11. इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि, दिनांक 11.12.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपीलार्थी के छोटा हाथी में बिक्री के वास्ते संग्रहित 25 किलोग्राम पिसी मिर्ची का निरीक्षण अपने पद का परिचय देते हुए किया तथा खाद्य पदार्थ पिसी मिर्च वजन 01 किलोग्राम को मुबलिग 160/–रूपये देकर खरीदा था तथा नमूने को चार खाली सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर नियमानुसार सील पैक किया था तथा सील्ड पैक नमूनों में से एक नमूना खाद्य विश्लेषक, गोरखपुर को जांच रिपोर्ट भेजने के लिए प्रेषित किया था।

12. खाद्य विश्लेषक, गोरखपुर उत्तर प्रदेश ने जांच रिपोर्ट संख्या–19/21, दिनांकित 28.12.2017 में संकलित नमूने के सम्बन्ध में इस आशय की राय दी थी "No person shall sell powdered spices & condiments except under packed condition while the sample is in ordinary plastic container. Which is violation of regulation no.2.3.14 (15) of P & R on sales regulation 2011.'' अर्थात् रिपोर्ट के अनुसार, संकलित नमूने में किसी प्रकार का बाह्य तत्व मिला नहीं पाया गया, बल्कि विश्लेषक ने रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ को खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निबंधन) विनियम, 2011 के अन्तर्गत बिना पैक दशा में विक्रय किये जाने के आधार पर विनियम की धारा–2.3.14(15) का उल्लंघन किया जाना दर्शित किया है।

13. इस स्तर पर उल्लेखनीय है कि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ही न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में प्रश्नगत परिवाद प्रस्तुत किया था तथा परिवाद में अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा–3(1)(zf) व 26(2)(ii) का उल्लंघन दर्शित करते हुए उसे धारा–52 के अन्तर्गत दण्डित किये जाने की याचना की थी। इस स्तर पर उल्लेखनीय है कि, अधिनियम की धारा–3(1)(zf) मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ को परिभाषित करती है, जिसमें उन सब परिस्थितियों का

उल्लेख किया गया है, जो किसी खाद्य पदार्थ को मिथ्या छाप बनाती हैं, उक्त धारा में जिन तथ्यों के आधार पर किसी खाद्य पदार्थ को मिथ्या छाप माना जाता है, में कोई भी ऐसी परिस्थिति दर्शित नहीं है, जो बिना सील पैक, मसाले को बेचे जाने के कृत्य के आधार पर खाद्य पदार्थ को मिथ्या छाप बनाती हो, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि, खाद्य विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट में नमूने के सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–3(1)(zf) का उल्लंघन दर्शित नहीं किया है।

14. इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद पत्र में अपीलार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–26(2)(ii) का भी उल्लंघन दर्शित किया है। उक्त धारा ऐसी किसी खाद्य वस्तु का, जो मिथ्या छाप वाली है या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हैं, के विक्रय को अधिनियम का उल्लंघन घोषित करती है। खाद्य विश्लेषक ने रिपोर्ट में न तो नमूने को मिथ्या छाप माना है और न ही उसमें किसी बाह्य पदार्थ के मिला होने का कोई उल्लेख किया है। खाद्य विश्लेषक ने रिपोर्ट में नमूने के सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–26(2)(ii) का उल्लंघन दर्शित नहीं किया है। इस प्रकार प्रश्नगत मामले में धारा–3(1)(zf) एवं 26(2)(ii) के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं, परन्तु विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय उपरोक्त आवश्यक तथ्यों को पूर्ण रूप से नजरंदाज करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध धारा–52 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित की है, जिसे किसी भी तौर पर विधि–सम्मत् शास्ति की संज्ञा नहीं दी जा सकती है।

15. इस स्तर पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि, खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में विश्लेषक द्वारा संकलित नमूने के सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निबंधन) विनियम, 2011 की धारा–2.3.14(15) का उल्लंघन दर्शित किया है।

16. ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि, उक्त उल्लंघन के लिए अपीलार्थी को अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है?

17. इस सम्बन्ध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि, खाद्य सुरक्षा एवं

मानक अधिनियम, 2006, में खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निबंधन) विनियम, 2011 की धारा–2.3.14(15) के उल्लंघन हेतु कोई स्पष्ट शास्ति प्रावधानित नहीं है, परन्तु अधिनियम की धारा–58 उन परिस्थितियों में शास्ति अधिरोपित किया जाना प्रावधानित करती है, जिनके सम्बन्ध में अधिनियम में कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबन्धित नहीं है। ऐसी स्थिति में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–58 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित की जा सकती है।

18. इस स्तर पर उल्लेखनीय है कि, अपीलार्थी/खाद्य कारोबारकर्ता ने प्रार्थनापत्र कागज संख्या–14ग इस आशय का प्रस्तुत किया है कि, उसे उक्त अपील में गुण–दोष के आधार पर कुछ नहीं कहना है, बल्कि वह उक्त अधिनियम में प्रावधानित धारा–49 के प्रकाश में अपील निस्तारित कराना चाहता है, उपरोक्त अपील को धारा–49 के प्रकाश में उस पर कम से कम जुर्माना लगाकर निस्तारित करने की कृपा करें। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थनापत्र के अवलोकन से यही परिलक्षित होता है कि, वह प्रश्नगत आदेश को अपील में वर्णित आधारों पर चुनौती नहीं देना चाहता है, बल्कि वह केवल अधिरोपित शास्ति की धनराशि को कम किये जाने की हद तक ही अपील पर बल देना चाहता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को केवल विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शास्ति की वैधानिकता पर ही विचार करना है।

19. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि, उक्त अधिनियम की धारा–58 न्यूनतम दण्ड को प्रावधानित नहीं करती, बल्कि उक्त धारा में अधिकतम शास्ति की सीमा दो लाख रूपये प्रावधानित की गयी है। अर्थात् विधि न्याय निर्णायक अधिकारी से उक्त धारा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन की गम्भीरता के कम अथवा अत्यधिक होने के मद्देनजर शास्ति निर्धारित किये जाने की अपेक्षा करती है। इसी कारण उक्त अधिनियम की धारा–49 न्याय निर्णायक अधिकारी से यह अपेक्षा करती है कि, वह शास्ति की मात्रा निर्धारित करते समय धारा–49 में वर्णित आधारों को ध्यान में रखे। अर्थात् धारा–58 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करते समय न्याय निर्णायक अधिकारी के लिए यह

आवश्यक है कि, वह धारा–49 में वर्णित इस तथ्य पर भी विचार करे कि, उल्लंघन के परिणामस्वरूप खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री के विक्रय से कितना अभिलाभ या अनुचित लाभ प्राप्त किया गया, जहां भी वह लाभ निर्धारणीय है। इसके अतिरिक्त न्याय निर्णायक अधिकारी को शास्ति पारित करते समय इस तथ्य पर भी विचार करना चाहिए कि, खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा किये गये उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को हुई हानि या ऐसी हानि, जिसके होने की सम्भावना है, की धनराशि कितनी है। इसके अतिरिक्त न्याय निर्णायक अधिकारी को शास्ति निर्धारित करते समय इस तथ्य भी विचार करना चाहिए कि, खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा उल्लंघन की पुनरावृत्ति की प्रकृति क्या है और क्या खाद्य कारोबारकर्ता ने उल्लंघन जानबूझकर किया है अथवा नहीं। इस स्तर पर यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पत्रावली पर अपीलार्थी की आय–व्यय सम्बन्धी कोई विवरण, अर्थात बैलेंस शीट आदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रश्नगत निर्णय में विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का कोई उल्लेख अंकित किया है कि, कथित पिसी मिर्च को बिना पैक स्थिति में विक्रय करने के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा कितना अभिलाभ या अनुचित अभिलाभ प्राप्त किया गया अथवा अभिलाभ निर्धारणीय है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत निर्णय में इस तथ्य का भी कोई उल्लेख अंकित नहीं है कि, अपीलार्थी द्वारा विक्रीत पिसी मिर्च के क्रय किये जाने से किन–किन व्यक्तियों को कितने धन की हानि कारित हुई अथवा हानि कारित होने की सम्भावना थी। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत निर्णय में इस तथ्य का भी कोई उल्लेख अंकित नहीं है कि, अपीलार्थी ने प्रश्नगत उल्लंघन जानते–बूझते किया है अथवा नहीं। इस स्तर पर यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि, दौरान निरीक्षण अपीलार्थी के छोटा हाथी में कुल 25 किलोग्राम पिसी मिर्च मानव उपभोग व विक्रय हेतु संग्रहित पायी गयी थी, जिसमें से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 01 किलोग्राम पिसी मिर्च मुबलिग 160/–रूपये देकर क्रय की गयी थी, अर्थात् अपीलार्थी के पास जो भी पिसी मिर्च बिना पैक स्थिति में मौजूद थी, उसकी कुल कीमत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने के लिए अदा की गयी कीमत के अनुसार लगभग 4,000/–रूपये

होती है, अर्थात् अपीलार्थी को प्रश्नगत पिसी मिर्च से जो भी लाभ प्राप्त होना था, वह उपरोक्त अनुमानित कीमत के सापेक्ष ही होना था, यदि अपीलार्थी को उपरोक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय से प्राप्त होने वाले लाभ को 200 प्रतिशत लाभ भी माना जाये, तब भी अपीलार्थी को प्राप्त होने वाला अधिकतम अनुमानित लाभ मुबलिग 12,000/–रूपये होता, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय में उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्य को भी नजरंदाज किया गया है।

20. ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के मद्देनजर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–52 के अन्तर्गत अधिरोपित शास्ति को निरस्त करते हुए, अपीलार्थी पर अधिनियम की धारा–58, जिसमें अधिकतम शास्ति मुबलिग 2,00,000/–रूपये तक प्रावधानित है, के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित किया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है।

आदेश

(i) सिविल अपील नम्बरी–09/2021, वसीम अहमद बनाम उ0प्र0 सरकार आदि आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत पारित मुबलिग 1,00,000/–रूपये की शास्ति के निर्णय को निरस्त करते हुए, अपीलार्थी पर अधिनियम की धारा–49 के परिप्रेक्ष्य में धारा–58 के अन्तर्गत मुबलिग 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

(ii) अपीलार्थी द्वारा अपील के अंगीकरण के स्तर पर न्यायालय में जमा की गयी शास्ति की धनराशि, उपरोक्त धनराशि में समायोजित की जायेगी।

(iii) अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि, वह प्रश्नगत निर्णय की दिनांक से एक माह के अन्दर शास्ति की धनराशि न्यायालय में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय–सीमा में शास्ति की धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो उससे उपरोक्त शास्ति की धनराशि की वसूलयाबी भू–राजस्व की भांति की जाये।

(iv) इस निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख

वापस किया जाये। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि, अपील की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार करें।

दिनांकः 21—07—2026

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/
जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
J.O.Code No. UP-1895

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 21—07—2026

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/
जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
J.O.Code No. UP-1895

स्टेनो— राजीव कुमार।